लोकपाल की तलाश

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक- **श्यामलाल यादव (संपादक)**

21 जनवरी, 2019

"दशकों से, भारत ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की नियुक्ति को लेकर कई प्रयास किए हैं। जो 1970 के दशक में एक विधेयक, 2013 में एक अधिनियम, एक खोज समिति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गयी समय सीमा तक विस्तृत है। तो आईये हम इस आलेख में भारत द्वारा किये गये इन प्रयासों पर एक नजर डालते हैं।"

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने देश के पहले लोकपाल, जो एक भ्रष्टाचार-विरोधी पहल है, के लिए एक सर्च कमेटी को निर्देश दिया है कि वह लोकपाल और सदस्यों की सूची तय करे अदालत ने कहा कि लोकपाल और सदस्यों के नामों को अंतिम रूप दिया जाए। इसके लिए अदालत ने फरवरी तक की मियाद दी है।

आइये लोकपाल नियुक्त करने के भारत के प्रयासों के लंबे इतिहास पर एक नजर डालते हैं:

पृष्ठभूमि:-

- गौरतलब हो कि इस तरह के लोकपाल के लिए कई बार मांग की जा चुकी है।
- जिसमें वर्ष 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 और 2008 में विधेयक भी पेश किये गये, ताकि लोकपाल के लिए कानून बनाया जा सके, लेकिन इनमें से एक भी पारित नहीं हुआ।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम दिसंबर, 2013 में लागू किया गया था, जिसके लागू होने में लगभग चार दशक बीत गये थे।
- यह जन लोकपाल विधेयक के लिए एक जन आंदोलन का नतीजा था, जिसकी शुरुआत कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अन्य जैसे किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल ने की थी।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी, 2014 से अधिसूचित किया गया था। यह लोकपाल कहलाने के लिए एक निकाय की स्थापना का नेतृत्व करता है और इसकी अध्यक्षता वह करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या है या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या है या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता हो।

इसके अन्य सदस्यों, जो आठ से अधिक नहीं होने चाहिए, में 50% न्यायिक सदस्य होंगे, इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से 50% से कम सदस्य नहीं होने चाहिए।

राज्यों के लिए अधिनियम कहता है कि "यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा, कुछ सार्वजनिक कार्यकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए ऐसा स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है, तो प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लिए एक निकाय की स्थापना करेगा जो लोकायुक्त के नाम से जाना जाएगा।

लोकपाल के पास भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवक द्वारा दंडित किए जाने वाले किसी भी अपराध की प्रारंभिक जाँच करने के उद्देश्य से एक इंक्वायरी विंग होगी, जिसकी जाँच निदेशक के नेतृत्व में की जाएगी। इस अधिनियम के तहत लो. कपाल द्वारा किसी भी शिकायत के संबंध में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से अभियोजन निदेशक की अध्यक्षता में अभियोजन विंग भी होगा। ये लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए हैं; चेयरपर्सन और लोकपाल के सदस्य भी लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार

- लोकपाल अधिनियम में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों से लेकर केंद्र सरकार के समूह A, B, C, और D के अधिकारियों के लिए लोक सेवकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- लोकपाल अधिनियम के अनुसार, लोकपाल किसी भी मामले में शामिल होने या उससे उत्पन्न होने वाली या उससे जुड़ी या किसी शिकायत में भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप में की गई पूछताछ की जांच करेगा।
- हालांकि, यह लोकपाल जांच की अनुमति नहीं देता है, यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित हो।
- इसके अलावा, प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि पूर्ण लोकपाल पीठ जांच शुरू करने पर विचार नहीं करती और कम से कम 2/3 सदस्य इसे अनुमोदित नहीं कर देते।
- प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की जांच (अगर आयोजित की गई) कैमरे के समक्ष होगा और अगर लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज की जानी चाहिए, तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा और न ही किसी को उपलब्ध कराया जाएगा।

खोज समिति

एक बार विधेयक पारित होने के बाद, अध्यक्ष और सदस्यों के आठ पदों को भरने के लिए 17 जनवरी, 2014 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसी दिन, खोज समिति के नियमों को अधिसूचित किया गया था, लेकिन समिति में नियुक्तियाँ नहीं की गईं। लोकसभा चुनाव के बाद मई 2014 में एक नई सरकार आई। उसी वर्ष, एक एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और बाद में लोकपाल के संबंध में हो रही देरी को लेकर एक अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद 27 सितंबर, 2018 को खोज समिति का गठन किया गया।

इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने की है और इसके सदस्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सखा राम सिंह यादव, पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललित के.पनवार, गुजरात के पूर्व पुलिस प्रमुख शब्बीरुशीन एस खंडवाला, प्रसार भारती के चेयरपर्सन ए. सूर्य प्रकाश और इसरो के पूर्व प्रमुख ए.एस. किरण कुमार है। 17 जनवरी, 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने अगले महीने के अंत तक अपने पैनल को तैयार करने के लिए सर्च कमेटी से अनुरोध किया है और सुनवाई की अगली तारीख 7 मार्च, 2019 निर्धारित की है।

आगे की राह

एक बार जब खोज समिति लोकपाल और उसके सदस्यों के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर देती है, तो एक चयन समिति उन नामों पर विचार करेगी और उन्हें राष्ट्रपति के पास उनके विचार के लिए भेज देगी।

चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रसिद्ध न्यायविद होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत, अधिनियम के पारित होने के एक वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी ऐसी संस्था की नियुक्ति नहीं की गई है।

GS World टीम...

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल को लेकर अहम निर्देश दिया है।
- शीर्ष अदालत ने सर्च कमेटी को निर्देश दिया है कि वह लोकपाल और सदस्यों की सूची तय करे।
- अदालत ने कहा कि लोकपाल और सदस्यों के नामों को अंतिम रूप दिया जाए। इसके लिए अदालत ने फरवरी तक की मियाद दी है।
- खोज समिति की प्रमुख सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई हैं।

क्या है?

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी, 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 पर हस्ताक्षर करते ही यह विधेयक 'अधिनियम' बन गया।
- इसमें केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम में सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिये एक सांविधिक निकाय का गठन किया गया था।

कौन होगा लोकपाल में

- लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा, जो या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है।
- लोकपाल में अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए।
- इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं

में से होने चाहिए।

कौन नहीं हो सकता?

- संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य
- ऐसा व्यक्ति जिसे किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो
- ऐसा व्यक्ति, जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 साल न हुई हो।
- किसी पंचायत या निगम का सदस्य।

अन्य मुख्य बिन्दु

- एक अन्य सदस्य कोई प्रख्यात विधिवेत्ता होगा, जिसे इन चार सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति नामित करेंगे।
- लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोकसेवकों की सभी श्रेणियाँ होंगी।
- कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत ईमानदार लोकसेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है, चाहे अभियोजन का मामला लंबित ही क्यों न हो।
- अधिनियम में प्रारंभिक जाँच और ट्रायल के लिये स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल के लिये विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान है।

सर्च कमेटी के कार्य

- सर्च कमेटी लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का पैनल तैयार करके चयन समिति को देती है और चयन समिति उसमें से नियुक्ति के लिए नाम चुनती है।
- चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष और प्रख्यात कानूनविद् होते हैं।
- नियम के मुताबिक लोकपाल अध्यक्ष के लिए सर्च कमेटी पांच नामों का पैनल तैयार करेगी, जबकि आठ सदस्यों जिनमें चार न्यायिक सदस्य और चार प्रशासनिक सदस्यों के लिए सर्च कमेटी 12-12 नामों का पैनल तैयार करेगी।
- नियम के मुताबिक लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अथवा असंदिग्ध निष्ठा वाला अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ प्रख्यात व्यक्ति हो सकता है जबकि सदस्यों में न्यायिक सदस्य वर्तमान या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हो सकते हैं।

क्या है लोकपाल का फायदा

- लोकपाल के पास सेना को छोड़कर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे चपरासी तक किसी भी जन सेवक (किसी भी स्तर का सरकारी अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य आदि) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की सुनवाई का अधिकार होगा।
- साथ ही वह इन सभी की संपत्ति भी जब्त कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को किसी आदमी के खिलाफ अदालती ट्रायल चलाने और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा।
- इसके दायरे में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के संदर्भ में वे कोई/सभी संस्थाएं होंगी, जो विदेशी स्रोतों से 10 लाख रुपये से ज्यादा का दान लेंगी।
- अधिनियम के तहत ईमानदार और सीधे-साधे लोक सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- अधिनियम लोकपाल को अधीक्षण का अधिकार और विभिन्न मामलों में सीबीआई समेत किसी भी जांच एजेंसी को निर्देशित करने का, चाहे वह लोकपाल ने खुद जांच एजेंसी को ही क्यों न दिया हो, अधिकार प्रदान करता है।
- सीबीआई के निदेशक की सिफारिश उच्च शक्ति समिति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अभियोजन निदेशक, सीबीआई की नियुक्ति की सिफारिश करेंगें।
- लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों के तबादले के लिए लोकपाल की मंजूरी की जरूरत होगी ।
- अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है, चाहे अभियोजन का मामला लंबित ही क्यों न हो।
- अधिनियम में प्रारंभिक जांच और ट्रायल के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी उल्लेख है।
- इसमें अधिनियम के लागू होने के 365 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अधिनियमन के जरिए लोकायुक्त संस्था की स्थापना का उल्लेख भी किया गया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम दिसम्बर, 2013 में लागू किया गया था।
   2. लोकपाल के क्षेत्राधिकार में सेना को छोड़कर लोक सेवकों की सभी श्रेणियाँ शामिल होगी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements -**

   1. Lokpal and Lakayukt Act was implemented in December 2013.
   2. Except the army all the other services will be included under the jurisdiction of the Lokpal

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का वर्णन करते हुए बताइए कि यह भ्रष्टचार को रोकने में कहां तक सक्षम होगा?

(250 शब्द)

Q. Discussing the Lokpal and Lokayukt Act 2013, mention to what extent it will be able to check the corruption.

(250 Words)

नोट : 19 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा। 2(c)

GS World
Committed To Excellence